न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-780/2026
उमेश पटेल बनाम् बिहार सरकार
[आंदर थाना कांड संख्या 27/2026]

आदेश

22.04.2026 आवेदक/अभियुक्त **उमेश पटेल पे0 चंद्रिका पटेल** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 780/2026, आंदर थाना कांड संख्या 27/2026, अंतर्गत धारा अंतर्गत धारा 191(2), 329(3), 126(2), 115(2), 109(1), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता श्री आदित्य कुमार एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि सूचक अपने पूरे परिवार के साथ शादी रोपने हेतु ग्राम राजापुर थाना कुचायकोट जिला गोपालगंज से वापस 06:30 बजे शाम में दिनांक 26.01.2026 को अपने घर आए। जैसे ही ये लोग अपने दरवाजे पर पहुंचे तो चंदन पटेल जान मारने की नियत से सूचक की मां को रड से सर पर मारा। फिर दुबारा सूचक की मां को चंदन ने मारा। इसके बाद सूचक का भाई विकाश कुमार पटेल बचाने आया तो जान मारने की नियत से उमेश पटेल ने रड से सर पर मारा और उसके बाद सूचक के भाई का सर फट गया। उसे जान मारने की नियत से अजीत पटेल ने सूचक के चाचा वकील प्रसाद को हथौड़ी से बायां हाथ पर मारा जिसके कारण खून बहने लगा और राजू पटेल एवं गुड्डू पटेल ने सूचक को पकड़कर पटक कर राजू पटेल ने दाहिने गाल पर डंटा से मारा। उसके बाद खून बहने लगा। जान मारने की नियत से कृष्णा पटेल ने सबको मारने हेतु ललकार रहे थे और सूचक के घर में घुस कर के बोल रहे थे कि सबकी हत्या कर दो। कोई साला बचने न पाए और बोल रहा था कि साला मैं मंटुआ का जमीन जबरदस्ती जोत रहा हूं और पूरा पट्टीदारी मेरे साथ है। ये साला क्या करेगा। अगर बच गया तो पूरा परिवार का सफाया कर देंगे। सूरज कुमार पटेल, बिरेन्द्र पटेल, अमित पटेल, विक्की पटेल एवं जयप्रकाश पटेल ने कुद–कुद कर ताबड़तोड़ लाठी चला रहे थे जिसके कारण सूचक का पूरा परिवार घायल हो गया। इसके पूर्व से सनहा दर्ज है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दायर नहीं किया गया है। आवेदक का

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-780/2026
उमेश पटेल बनाम् बिहार सरकार
[आंदर थाना कांड संख्या 27/2026]

22.04.2026

लगातार

अतीत साफ है और उसके खिलाफ अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। दोनों पक्षों के बीच पलटावाद का मुकदमा पंजीकृत है। आवेदक के विरूद्ध लागू भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 को छोड़कर सभी जमानतीय है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और अभियोजन की कहानी पूरी तरह से झूठा है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी आंदर थाना कांड संख्या 27/2026, अंतर्गत धारा अंतर्गत धारा 191(2), 329(3), 126(2), 115(2), 109(1), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों को लोहे के रड़, हथौड़ी एवं लाठी से मारकर जख्मी करने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 42 के अनुसार आवेदक के खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। कांड दैनिकी के साथ जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन की छायप्रति संलग्न है जिसके अनुसार चिकित्सक ने विक्रमा प्रसाद के सिर्फ एक जख्म को छोडकर अन्य सभी जख्मियों के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है। साथ ही, विक्रमा प्रसाद का उक्त जख्म शरीर के किसी महत्त्वपूर्ण अंग पर नहीं है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध एवं कारित जख्म की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **उमेश पटेल** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म समर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000/– रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-780/2026
उमेश पटेल बनाम् बिहार सरकार
[आंदर थाना कांड संख्या 27 / 2026]

22.04.2026

लगातार के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदक का निकट संबंधी होने की शर्त के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
ह0 / –
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 22.04.2026

Date of Order/Judgment	22.04.2026
Date of Reserving Order/Judgment	22.4.2026
Uploading Date	23.04.2026
Uploaded By	RAVI KANT